

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का निधन उनके नाम सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाओं के नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

क्रम	नाम व्याख्याता	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि / रावाउमावि	जन्मतिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	रतन लाल मीणा	इतिहास	ऊँटवाल-रामगढ अलवर	04.05.1960	03.07.2018	03.07.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिंडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक-01/08/18

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/17-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- 2 सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा, I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि ऊँटवाल-रामगढ अलवर को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण, कार्यालय हाजा
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर